

अपराध अनुसंधान विभाग

सितंबर- 2019

अंक- 05

“ म.प्र. पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्वेषण हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री पदक, विशिष्ट सेवाओं तथा उत्कृष्ट कार्यों हेतु राष्ट्रपति का सराहनीय/विशिष्ट सेवा पदक, शस्त्र पुरस्कार, क्रम से पूर्व पदोन्नति व म.प्र. पुलिस की शाखाओं 'CAW' 'CID' एवं वाहनों संबंधी पोर्टल हेतु पुलिस दूरसंचार एवं एस.एस.पी. इंदौर को ट्रैफिक व्यवस्था हेतु फिक्की अवॉर्ड से सम्मानित किये जाने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही त्योहारों के सीजन में शांति व्यवस्था बनाये रखने के साथ बाल अपराध, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध एवं सफेद पोश अपराधों की रोकथाम की दिशा में पुलिस के द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रशंसा करता हूँ आशा करता हूँ कि पुलिस अधिकारी भविष्य में भी इसी प्रकार अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करते रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित।

राजीव टण्डन, अमनि, अअवि, पुम भोपाल

पुलिस अधिकारियों को 'शस्त्र पुरस्कार'



जिला उज्जैन- दिनांक 29 जून 2019 की रात्रि पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सचिन अतुलकर के नेतृत्व में पुलिस की 4 टीमों द्वारा कुख्यात गुर्जर गैंग के 07 सदस्यों की गिरफ्तारी के साहसिक कार्य पर श्री सचिन अतुलकर एवं पुलिस अधीक्षक बालाघाट श्री अभिषेक तिवारी एवं सेनानी हॉकफोर्स श्री तरुण नायक के नेतृत्व में दिनांक 09 जुलाई 2019 को हुई मुठभेड़ में 02 नक्सलियों को धरासायी करने पर उक्त तीनों अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश द्वारा 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड में हुए गरिमामय आयोजन में शस्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

म.प्र. पुलिस के आठ पुलिस अधिकारी केन्द्रीय गृहमंत्री पदक से सम्मानित

वर्ष 2018 में उप निरीक्षक से पुलिस अधीक्षक रैंक के विवेचना अधिकारियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु "केन्द्रीय गृह मंत्री पदक" से सम्मानित किया गया है। पुरस्कृत अधिकारी हैं-

- | | |
|--|--|
| 1. अमित सुरेश तोलानी (भा.पु.से.) जबलपुर | 5. राकेश तिवारी (निरीक्षक) जबलपुर |
| 2. इन्द्रेष कुमार त्रिपाठी (निरीक्षक) कटनी | 6. कुवर सिंह मुकाती (निरीक्षक) रायसेन |
| 3. शिव कुमार यादव (निरीक्षक) बैतूल | 7. कमलेन्द्र सिंह करचुली (निरीक्षक) सागर |
| 4. प्रकाश वाश्कले (निरीक्षक) उज्जैन | 8. विनोद सिंह कुशवाह (निरीक्षक) मंदसौर |

प्रदेश के 21 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा

भोपाल, 14 अगस्त 2019/ मध्यप्रदेश पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ 21 अधिकारी व कर्मचारियों को विशिष्ट तथा सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2019 के राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार सिंह ने इन सभी अधिकारी व कर्मचारियों को पदक की घोषणा होने पर हार्दिक बधाई दी है। पदकों का वितरण अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2020 को किया जाएगा।

कुख्यात नक्सलियों को मार गिराने वाली हॉकफोर्स की टीम में शामिल 17 पुलिस कर्मचारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन

अदम्य साहस का परिचय देकर 14-14 लाख के इनामी दो कुख्यात नक्सलियों को मार गिराने वाली हॉकफोर्स की टीम में शामिल 17 पुलिस कर्मचारियों को क्रम से पूर्व पदोन्नति (आउट ऑफ टर्न प्रमोशन) दी गई है ज्ञात हो कि, मध्यप्रदेश पुलिस के हॉक फोर्स द्वारा सूझ-बूझ एवं साहस का परिचय देकर गत 9 जुलाई की दरम्यानी रात बालाघाट जिले के ग्राम नेवरवाही के पुजारीटोला में हुई मुठभेड़ के दौरान 14-14 लाख के इनामी दो कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया था। इन नक्सलियों पर मध्यप्रदेश द्वारा 3-3 लाख, छत्तीसगढ़ द्वारा 5-5 लाख एवं महाराष्ट्र द्वारा 6-6 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

जिन 17 पुलिस कर्मचारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है, उनमें एक उपनिरीक्षक को निरीक्षक, तीन प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक एवं 13 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पदों पर पदोन्नति मिली है। पुलिस मुख्यालय द्वारा उप निरीक्षक श्री अमित सिंह सैयाम को उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है। इसी प्रकार प्रधान आरक्षक श्री अजीत सिंह, श्री विपिनचंद्र खल्खो व श्री राम पदम शर्मा को सहायक उप निरीक्षक बनाया गया है। आरक्षक श्री गंगाराम परस्ते, श्री प्रवीण कुमार परतेती, श्री भीमसिंह पटेल, श्री अजय कुमार पटेल, श्री नाहर सिंह नरवरिया, श्री फूलचंद कुशवाह, श्री संदीप उपाध्याय, श्री राजेश गौड़, श्री आशीष कुमार, श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला, श्री दीपक कुमार तिवारी, श्री अरविंद सिंह गुर्जर व श्री प्रवीण चौरे को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति दी गयी है।

4.11 करोड़ का “कैश” कार से जप्त

जिला भोपाल, दिनांक 03.09.19 को राजधानी पुलिस ने एक संदिग्ध कार से करीब 4.11 करोड़ रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस ने कार के साथ ड्राइवर दिनेश लौवंशी, उसके भाई भूरालाल और कंडेक्टर सोनू लोढ़ा को पकड़ा है।

यह रकम कार में छिपा कर मुंबई भेजी जा रही थी, जहां से वापसी में कार में भारी मात्रा में सोना लाया जाना था। मुंबई से अवैध रूप से सोने की खरीदी की जा रही थी। राजधानी



पुलिस की साइबर इन्वेस्टिगेशन और क्राइम ब्रांच की टीम ने यह संयुक्त कार्यवाही की है।

साइबर इन्वेस्टिगेशन टीम को सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र रजिस्टर्ड कार में कुछ सामग्री मुंबई भेजी जा रही है। पुलिस ने जब कार के फ्लोर का कॉरपेट हटाया तो उसमें सेंट्रल लॉक दिखा। इस फ्लोर को काटकर आगे और पीछे चार बॉक्स बनाए गए थे। पुलिस ने एक बॉक्स के नट खोले तो उसके अंदर पैक करे बंडल मिले। चारों बॉक्स एक-एक कर खोले गये तो उनमें से 500 और 2000 नोटों के 31 बंडल निकले।

34 लोगों का बीमा कर हत्या करने वाले सीरियल किलर को उम्रकैद

जिला उज्जैन थाना जीवाजीगंज में दिनांक 10.01.2006 को सूचना प्राप्त हुई कि अज्ञात आरोपी द्वारा दिलीप पंड्या के मकान में घुसकर धारदार हथियार से उसके गले में गंभीर चोट पहुंचाई है घायल को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। शिकायत पर अप.क्र. 18/06 धारा 302,450 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना आरोपीगण मोहम्मद सिराज, अश्विनी पंड्या, गब्बर, नवाब, प्रभाशंकर पंड्या को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने ने बताया कि उन लोगों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दिलीप पंड्या जो कि मोची का काम करता था की 50-50 लाख रुपये की दो बीमा पॉलिसी करायी थी। घटना के पूर्व मृतक के नाम की ओरियेन्टल इश्योरेंस कम्पनी व चोला मंडलम, कोटक लाईफ इश्योरेंस कम्पनी से 43 लाख रुपये के प्रपोजल फार्म तैयार कर उन्हें असल दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया एवं बीमा के पैसे लेने के लिये दिलीप पंड्या की हत्या कर दी। प्रकरण की विवेचना पर धारा 467,468,471,419,420,201,120-बी भादवि एवं 25, 27 आयुध अधिनियम का इजाफा किया गया। विचारण के दौरान दोषसिद्ध पाये जाने पर माननीय न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन द्वारा दिनांक 05.08.2019 को आरोपी सिराज मोहम्मद एवं अश्विनी पंड्या को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।

दो करोड़ कीमती अलप्राजोलम ड्रग आरोपियों सहित पकड़ी



वाराणसी एवं बिहार में होती थी। इस ड्रग का इस्तेमाल विदेशी नागरिक ज्यादा करते हैं। अमूमन इस ड्रग से बनी टेबलेट खाकर अपराधी सिलसिलेवार अपराध करते हैं क्योंकि इस ड्रग से व्यक्ति की झिझक खत्म हो जाती है पकड़ी गयी महिला विगत 15 वर्षों में 30-35 बार इस ड्रग की तस्करी कर चुकी है। हर एक किलोग्राम तस्करी पर उसे उनसे 4 लाख रुपये का मुनाफा होता म.प्र. पुलिस द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में अलप्राजोलम पकड़ने का संभवतः यह पहला मामला है। पकड़े गये आरोपी मन्दसौर निवासी यासमीन एवं उसका बेटा शाबिर हुसैन हैं आरोपीगण के विरुद्ध थाना एस.टी.एफ. में अप.क्र. 15/19 धारा 8,22 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक एस.टी.एफ. श्री राजेश भदौरिया के अनुसार यासमीन उर्फ शकुंतला को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत पहले उज्जैन एवं सासाराम पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गांजे एवं ओपियम ड्रग के बाद उसने अलप्राजोलम की तस्करी शुरू की पुलिस से बचने के लिये ये ए.सी. फर्स्ट या सेकेण्ड में सफर करती थी। श्री ए.के. श्रीवास्तव प्रोफेसर फर्म्स कोलाजी डिपार्टमेंट हमीदिया अस्पताल के अनुसार ये एक सिडेटिव हिप्टोनिक ड्रग है जिसे डर दूर करने के लिये लिया जाता है इससे व्यक्ति के अंदर झूठा आत्मविश्वास पनपता सनक रहती है अब तक इस ड्रग का चलन महानगरों के अलावा म.प्र. के इंदौर में हो रहा है।

छिन्दवाड़ा पुलिस को मिली सफलता, पकड़ा गया अवैध हथियार तस्करों का गिरोह

जिला छिन्दवाड़ा - मनोज राय पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस टीम द्वारा अवैध हथियारों के तस्कर इमरान आलम निवासी चांदामेटा को पकड़ा गया जिसके घर से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुआ है। पकड़े गये आरोपी से सघन पूछताछ की गयी, जिसने पूछताछ पर बुरहानपुर, खरगौन एवं मैनपुरी (उत्तरप्रदेश) से अवैध हथियारों की तस्करी कर छिन्दवाड़ा लाकर बेचना बताया। इमरान आलम के साथ अवैध हथियारों की तस्करी एवं बेचने में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ा जाकर उनके पास से पिस्टल 14 नग, कट्टे 06 नग, रिवाल्वर 02 नग कुल 22 शस्त्र बरामद किये गये हैं।

उक्त अवैध हथियार तस्कर गिरोह को गिरफ्तार कर अवैध हथियार बरामद करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा द्वारा नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की गई है।



बीमा की रकम नहीं मिलने पर किया था बहन का कत्ल

जिला भोपाल थाना बजरिया में दिनांक 24.02.2008 को सुरेन्द्र ठाकुर नामक व्यक्ति ने बहनोई की मौत के बाद बीमा की रकम के लिये अपनी बहन किरण ठाकुर को सिर पर हथौड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी एवं लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक संदूक में उसकी लाश को रखकर घर के अन्य सामान के साथ ट्रेक्टर-ट्रॉली में रखा था। संदूक से खून टपकता दिखाई देने पर मकान मालिक ने जब उसके बारे में सुरेन्द्र ठाकुर से पूछताछ की तो वह वहां से भाग निकला। सूचना पर पुलिस द्वारा अप.क्र. 50/08 धारा 302,201 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में



लेकर आरोपी की तलाश की गई, किन्तु वह नहीं मिला। दिनांक 18.08.19 को थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि वर्ष 2008 में बहन की हत्या कर फरार चल रहा आरोपी सुरेन्द्र ठाकुर थाना बजरिया क्षेत्र में घूम रहा है, जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि बहनोई की 8 लाख की बीमा राशि लेने के संबंध में बहन से विवाद होने पर बहन के सिर पर हथौड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी थी और दिल्ली, पीथमपुर, मुम्बई, इंदौर में रहकर फरारी काट रहा था। इस बीच आरोपी द्वारा कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया गया।

“अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 07 आरोपी गिरफ्तार”



जिला इंदौर क्राईम ब्रांच द्वारा अवैध हथियारों की खरीद/फरोख्त करने वाले अपराधियों की धरपकड़ करने में पकड़े गये आरोपियों एवं सिकलीगरों से पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई थी कि इंदौर के सीमावर्ती जिले धार, बड़वानी, खरगौन, खण्डवा, देवास आदि जिलों के सिकलीगरों का संपर्क अन्य प्रदेशों से भी है, इन तस्करों के संबंध में सूचना संकलन के दौरान सिकलीगरों तक पहुंचने के कुछ रास्तों की क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा रूट मैपिंग की गई जिसमें यह ज्ञात हुआ कि तस्कर किन रास्तों से सिकलीगरों तक पहुंचते हैं तथा अवैध हथियार लेकर किन रास्तों अथवा साधनों से अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं।

इसी अनुक्रम में सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना कनाड़िया पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये चार आरोपियों 1. शुभम उर्फ चिकनी उम्र 23 साल 2. अमित बैसवार उम्र 32 साल 3. गणेश वर्मा उम्र 25 साल 4. आशिक मंसूरी उम्र 22 साल को थाना कनाड़िया क्षेत्रांतर्गत पकड़ा। आरोपियों की मौके पर तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 04 अवैध हथियार जिसमें एक कट्टा, व तीन पिस्टल शामिल है बरामद हुये। पकड़े हुये आरोपियों के विरुद्ध थाना कनाड़िया में अप.क्र. 462,463,464,465/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है। क्राईम ब्रांच की अन्य टीम द्वारा समानांतर कार्यवाही करते हुये आरोपी कपिल पिता शंभुदयाल सुदीप तिवारी उम्र 29 साल निवासी ग्राम जिगना जिला दतिया एवं पिता गिरीश भार्गव उम्र 20 साल निवासी ग्राम खद्रावनी जिला दतिया को नवलखा बस स्टैंड के पास से पकड़ा तलाशी पर आरोपियों के कब्जे से कुल पांच 32 बोर की पिस्टलें बरामद हुईं। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर अवैध हथियार की सप्लाई शहर की सीमा से जुड़े अन्य जिलों द्वारा तस्करों के माध्यम से कराई जाती है। इसी के मद्देनजर क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा अपने आसूचना संकलन के माध्यम से उपरोक्त 07 सिकलीगरों को पकड़कर उनके कब्जे से कुल 21 अवैध हथियार बरामद करने में सफलता हासिल की।

यू ट्यूब पर वीडियो देख प्रिंट किए 13.54 लाख रु. के नकली नोट



जिला बड़वानी थाना निवाली में पुलिस ने 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर 13.54 लाख रुपए के नकली नोट और कलर स्केनर/प्रिंटर जप्त किया हैं, इसमें दो आरोपी देवा उर्फ दयाराम व गोंदिया उर्फ गेंदालाल सेंधवा क्षेत्र के निवासी हैं। जबकि मास्टर माइंड राहुल पिता शोभाराम शिरपुर तहसील महाराष्ट्र के ग्राम नटवाड़ी का रहने वाला है। 9वीं तक पढ़े आरोपी राहुल ने यू ट्यूब पर वीडियो देखकर नकली नोट बनाने की योजना बनाई थी। आरोपियों ने केले खरीदकर 2 हजार रुपए का नोट दिया था, इससे दुकानदार को शक हुआ और उसने पुलिस को सूचना दे दी। यू ट्यूब पर वीडियो देखकर नकली नोट बनाने के लिए राहुल ने धुलिया से 16 हजार रुपए में प्रिंटर/स्केनर खरीदा था। राहुल व उसके 2 अन्य साथियों ने 100, 200, 500 व 2 हजार रुपए के 1686 नोट स्केन कर प्रिंट किए थे पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा एक दिन में 10 से 20 हजार रुपए के नकली नोटों को असली नोटों में बदलने की योजना थी। आरोपियों द्वारा निवाली क्षेत्र में दुकानों पर 10 से 2 हजार रुपए के कुछ नकली नोट चलाए हैं।

महिला डॉक्टर को डीएसपी ने आत्महत्या करने से बचाया

भोपाल- पारिवारिक उलझनों से परेशान ट्रेन से कटकर जान देने जा रही महिला डॉक्टर को ट्रैफिक डीएसपी ने वक्त रहते बचा लिया। मर जाऊंगी बोलते हुए वह रेल्वे ट्रैक पर लेट गई थी। एक गुमटी वाले की सूचना पर डीएसपी श्री पराग खरे उसके पास पहुंचे तो महिला झूमा-झटकी पर उतर आई। अपना हाथ छुड़ाने के फेर में डीएसपी की वर्दी तक फट गई। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार डीएसपी ने महिला को ट्रैक से दूर किया और वाहन में बिठाकर एमपी नगर थाने ले आए। यहां महिला पुलिसकर्मियों ने महिला की काउंसलिंग की, तब जाकर वह थोड़ी नॉर्मल हुई।



बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु क्राइम ब्रांच की नई यूनिट

सायबर क्राइम और सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिये भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नई यूनिट बनाई है। यह यूनिट सायबर क्राइम और इन्टेलीजेंस पर स्पेशल फोकस करेगी। आवेदक पूर्व में सायबर क्राइम ब्रांच व थाने में आवेदन तो करते थे, परन्तु उन पर तत्काल कार्यवाही नहीं हो पाती थी क्योंकि क्राइम ब्रांच के पास सायबर एक्सपर्ट टीम नहीं थी। सायबर सेल में भी शिकायतों पर कार्यवाही होने में समय लगता था इस समस्या के निदान के रूप में क्राइम ब्रांच की यह नई यूनिट बनाई है। श्री संदेश जैन की पदस्थापना ए.एस.पी साइबर क्राइम और सायबर इन्टेलीजेन्स के पद पर की गई है।

निवेश सलाहकार कंपनियों द्वारा आकर्षक प्रलोभन देकर धोखाधड़ी

जिला इंदौर विगत 02 वर्षों में कुछ निवेश सलाहकार कंपनियों द्वारा ग्राहकों को आकर्षक प्रलोभन देकर उनकी मेहनत की कमाई को कंपनी में निवेश करवाकर परिपक्वता अवधि में भुगतान न किये जाने के संबंध में इन्दौर जिले में लगभग 100 शिकायतें विभिन्न निवेश सलाहकार कंपनियों के विरुद्ध प्राप्त हुई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार धोखाधड़ी की इससे अधिक शिकायतें अपंजीकृत व पंजीकृत निवेश सलाहकार कंपनियों के विरुद्ध सेबी में प्राप्त हुई हैं। विगत वर्ष पुलिस द्वारा ऐसे प्रकरणों में 14 प्रथम सूचनायें दर्ज कर लगभग 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। निवेश सलाहकार कंपनियों सेबी के नियमों का पालन करते हुए ग्राहकों को निवेश के जोखिम बताकर निवेश हेतु सलाह दे सकती है परन्तु वे ऐसा न कर ग्राहकों को झूठे भारी भरकम रिटर्न के प्रलोभन देकर निवेश के लिए उकसाते हैं। तत्पश्चात वे विभिन्न शुल्क, निवेश शुल्क व सुविधा शुल्क के नाम से अनाधिकृत रूप से रुपये वसूलते हैं।

दिनांक 17 अगस्त 2019 को इसी संबंध में इन्दौर में आयोजित बैठक में सभी पंजीकृत संस्थाओं के सदस्य एवं सेबी के अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारी सम्मिलित हुए थे मीटिंग में कंपनी के अधिकारियों से सेबी के निर्देशों के अनुरूप कार्य कर ग्राहकों को सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी एवं जन जागृति हेतु इस बैठक में लिए गये निर्णयों का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है।

अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार

भोपाल- आंध्रप्रदेश के मलकानगिरी राजमुंदरी बॉर्डर से गांजे की 3.75 क्विंटल खेप लाने वाले 5 अन्तर्राज्यीय तस्करों को पिपलानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खास बात ये है कि आरोपी गांजा लोहे के ऑयल ड्रम में भरकर लाते थे। ड्रम होल में अंदर की ओर उतनी ही परिधि का फंसा पाइप तलहटी तक रहता है। इसमें ऑयल भरा जाता था और ड्रम के बाकी हिस्से में गांजा भरा होता था। तस्कर गिरोह भोपाल और सीहोर में गांजे की सप्लाई करते थे। डीआईजी भोपाल के अनुसार एक सटीक सूचना के बाद पिपलानी पुलिस ने इन तस्करों को हथारिखेड़ा रोड आनंद नगर से पकड़ा है। पता चला था कि गांजे की बड़ी खेप पिकअप जीप और अल्टो कार में भरकर लाई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में सीहोर निवासी हमीद अली, वहीद खान, पीर खां, शहीद खान और शफीक अली उर्फ शप्पू शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिकअप, कार, लोहे के छह ड्रम और 3.75 क्विंटल गांजा जप्त किया है। जप्त किए गए कुल माल की कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है। थाना पिपलानी में घटना के संबंध में अप.क्र. 885/19 धारा 8/20 'ख' एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।

7 लाख 80 हजार के दो इनामी डकैत पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए

जिला सतना में 6 लाख 80 हजार का इनामी डकैत बबली कोल और उसका साथी लवकेश पुलिस मुठभेड़ में मारे गये। 8 सितम्बर रात्रि 2 बजे हरसेड ग्रामीण किसान अवधेश प्रताप दिवेदी एवं उसके नौकर व लड़के का घर से अपहरण कर लिया था व 50 लाख की फिरोती अपहृत की पत्नी से मांगी थी। अपहरण कर्ताओं ने रास्ते में नौकर व लड़के को छोड़ दिया अपहरण कर्ताओं का संबंध बबली कोल गिरोह से होना पता चला था, जो 2011-12 से मध्य-प्रदेश और उत्तर-प्रदेश के लगे हुए क्षेत्र में सक्रिय है। अपहरण कर्ताओं की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा टीमें गठित कर जंगलों में तलाश की जा रही थी। अपहरण की घटना पर से थाना धार कुण्डी पर अप. क्रमांक-94/19 धारा 364, 434 भादवि एवं 11/13 एडी एक्ट पंजीबद्ध हुआ था।

नारकोटिक्स विंग: अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़

पुलिस महानिदेशक महोदय के अवैध मादक पदार्थों पर कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश पुलिस एवं नारकोटिक्स विंग म.प्र. द्वारा तत्परता से अत्यंत कड़ी व प्रभावी कार्यवाही करते हुए कई बड़े-बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में स्वापक औषधि व मन प्रभावी पदार्थों, जिसमें मुख्यतः डोडाचूरा गांजा, अफीम, चरस एवं नशीली दवाइयां हैं जप्त की गयी है।

प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं नशामुक्ति जन जागृति हेतु दिनांक 01/08/19 से 31.08.19 तक माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश से विशेष अभियान "प्रहार" एवं "प्रतिकार" संचालित है जिसके तहत प्रदेश में 13 दिनों में 183 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं तथा 232 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस विशेष अभियान के तहत प्रदेश में कुल 1417 सभाएं आयोजित कर 1.5 लाख युवाओं/छात्र-छात्राओं व आमजनों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराकर उनके द्वारा नशामुक्त समाज निर्माण का संकल्प कराया गया है।

पुलिस द्वारा 02 दिन में 10 माह का अपहृत बालक बरामद

जिला शाजापुर दिनांक 06.01.18 को फरियादी मुकेश की रिपोर्ट पर थाना बैरछा में अप.क्र. 06/2018 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण में अपहृत बालक अनमोल उम्र 10 माह जो घर से अचानक गायब हो गया था। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक जिला शाजापुर के मार्गदर्शन में पुलिस टीम बनाकर बदमाशों की धड़पकड़ तथा बालक की तलाश में खाना हई, पुलिस को भय था कि 10 माह के अपहृत बालक के साथ कोई अनहोनी घटना घटित न हो जाये, पुलिस अधीक्षक ने जिला साईबर सेल को तत्काल पुलिस टीम के साथ मिलकर सक्रिय भागीदारी कर नेटवर्क ट्रैकिंग करने और लगातार



बदमाशों की लोकेशन ट्रेस करने हेतु लगाया। अपहरणकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य फिरौती था, जिसके जरिये बदमाशों को 10 -15 लाख रुपये की फिरौती मिलने की आशा थी। दो दिन

तक पुलिस ने बिना रुके अथक प्रयास कर आखिर अपहृत बालक को देवास से बरामद कर ही लिया और अपहरण कर्ताओं को भी धर दबोचा। बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि अपहरण काण्ड का मास्टरमाइंड आवेदक का भांजा राकेश पिता मनोहरलाल कारपेन्टर निवासी देवास ही निकला। यह घटना पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, किसी भी हाल में बच्चों को ढूँढ़ निकालना जरूरी था अन्यथा मासूम बच्चे की जान को खतरा हो सकता था, पुलिस ने दिन-रात मेहनत कर आखिर बच्चे को ढूँढ़ निकाला। इस संबंध में रहवासियों द्वारा पुलिस के कार्य की दिल से सराहना की गई।

“बालिका गृह रतलाम से लापता 05 नाबालिग बालिकाएं बरामद”

दिनांक 24/01/19 को ‘बालिका गृह कुन्दन कुटीर जावरा जिला रतलाम से 05 नाबालिग बालिकाएँ बिना बताये कहीं चली गई थी जिस पर कुन्दन कुटीर अधीक्षिका श्रीमति हंसा पाठक निवासी रेल नगर रतलाम की रिपोर्ट पर थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पर अपराध क्रमांक 50/24.01.19 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की अपहृता बालिकाओं को उक्त अपराध में 24/01/19 को दस्तयाब किया गया।

बालिका गृह कुन्दन कुटीर जावरा से भागी बालिकाओं के संबंध में जिला दण्डाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रियल जाँच एस.डी.एम. जावरा श्री आर्य द्वारा कराई गई। उक्त जाँच में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 31/01/19 को थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में आरोपियों के विरुद्ध अप.क्र. 59/19 धारा 376 2(डी) 354ए 323ए 120 बी 34 भादवि 5डी/6, 7 /8 पॉक्सो एक्ट व धारा 75 बच्चों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2015 अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 31/01/19 को उक्त चारो आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया। अपहृत बालिकाओं का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा धारा 164 जाफो के कथन कराये गये। जिसमें बालिकाओं ने उनके साथ छेड़छाड़ होना बताया दिनांक 1/02/19 को उक्त चारों आरोपीगणों को माननीय जे एम सी न्यायालय जावरा पेश किया गया जहां उक्त चारों का जेल वारंट बनाया जाने से महिला आरोपी को रतलाम जेल व शेष अन्य तीनों आरोपीगणों को जावरा उप जेल भेजा गया।

पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालानी कार्यवाही पूर्ण की। प्रकरण में पुलिस की भूमिका अति सराहनीय व प्रशंसनीय रही है।

“08 माह बाद दो मासूम सुरक्षित घर पहुंचे”



पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आलोचनाएं भले ही हों, लेकिन एक पहलू यह भी है कि इस विभाग के मातहत कई बार समाज सेवियों की तरह बेहतर काम करते हैं ऐसे ही एक मामले में विशेष किशोर पुलिस इकाई जिला सागर ने दो मासूम भाई- बहनों को घर तक पहुंचाया जो 08 माह से परिजन से पिछड़े हुए थे, करीब 08 माह पूर्व मोति नगर क्षेत्र में रहने वाले 10 वर्षीय प्रियंका और उसका छोटा भाई देव अपनी मां के साथ ट्रेन में सवार होकर दिल्ली के लिए निकले थे। बच्चों को रास्ते में ट्रेन में ही मां छोड़कर चुपचाप निकल गई, बच्चे रोते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली चाईल्ड लाईन ने दोनों बच्चों को एक बाल आश्रम में भर्ती करा दिया गया। पुलिस के अनुसार करीब दो माह पूर्व सूचना मिली थी कि दोनों बच्चे दिल्ली के बाल आश्रम में हैं इसकी जानकारी उन्होंने ने पुलिस अधीक्षक जिला सागर को दी जिस पर लापता मां के हवाले से बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट मोतीनगर थाने में दर्ज कराई गई, इसके बाद थाने की टीम दिल्ली खाना होकर दिल्ली के चाईल्ड लाईन से दोनों बच्चों को सागर लेकर वापस आई और दोनों बच्चों को सुरक्षित उनके माता-पिता को सुपुर्द किया गया।

चिन्हित मामले में आजीवन कारावास

जिला नरसिंहपुर- दिनांक 23.10.18 के करीब 10:00 बजे प्रार्थी श्रीराम मल्लाह के घर के बाजू में चन्नूलाल गोंड दाढ़ी बनवा रहा था तभी राजेश यादव पीछे से आया और हाथ में रखी कुल्हाड़ी से चन्नू गोंड को पीठ में मारा जिससे वह लुढ़क गया, फिर दो बार गर्दन में मारा जिससे गर्दन की हड्डी कटकर बाहर निकल गयी और मौत हो गई, दोनों के बीच लेन-देन का पुराना विवाद होने की जानकारी मिली है, रिपोर्ट पर थाना सुआतला में अप.क्र. 627/18 धारा 302 भादवि एवं 3(2-5) एससी/ एसटी एक्ट का कायम किया गया। मामले को गंभीर अपराध की श्रेणी में चिन्हित कर आरोपी राजेश पिता मुन्ना लाल यादव उम्र 29 साल नि. अमोदा थाना सुआतला को दि. 24.10.18 को गिरफ्तार किया गया, विवेचना पूर्ण कर चालान क्र. 287/18 तैयार कर दि. 15.11.18 को न्यायालय में प्रस्तुत किया।

माननीय विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी एक्ट) जिला नरसिंहपुर श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्र.178/18 पर सुनवाई कर अपने निर्णय दि. 30.08.19 को आरोपी राजेश यादव को धारा 302 भादवि में सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

“अबोध बच्चों की खरीदी/बिक्री के रैकेट का पर्दाफाश” – 14 बच्चे बरामद

जिला अलीराजपुर में दिनांक 11/11/18 को पुलिस द्वारा शहर में बच्चे खरीदने/बेचने के संबंध में प्राप्त हो रही सूचनाओं के आधार पर कार्य योजना बनाकर निःसंतान दम्पति को बच्चा बेचने वाले संदिग्ध शैलेन्द्र सिंह राठौर उर्फ शैलू निवासी अलीराजपुर से संपर्क कराया गया जो किसी बच्चे को बेचना चाह रहा था शैलेन्द्र ने उन्हें डेढ़ वर्षीय बच्चे का फोटो दिखाया। शैलेन्द्र के घर के हॉल में 04 अन्य व्यक्ति भी थे जिनसे शैलेन्द्र सिंह के घर आने का कारण पूछा तो उन्होंने शैलेन्द्र सिंह राठौर को उक्त एक बच्चा बेचना बताया तत्काल शैलेन्द्र सिंह राठौर के कब्जे से बालक उम्र करीब डेढ़ साल को बरामद किया गया तथा उन 04 व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 363,370,34,120बी भादवि, 81 जुवेनाईल जस्टिस एक्ट के पाये जाने से थाना कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 389/18 दर्ज किया गया।

अपराध की विस्तृत विवेचना के दौरान कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तथा कुल 14 बच्चों को बरामद किया गया उक्त बरामद 14 बच्चे जिसमें 10 बालक एवं 04 बालिकाएं तथा जिनकी उम्र लगभग 02 माह से 3 वर्ष 6 माह के बीच है तथा इनके वास्तविक माता-पिता भी ज्ञात नहीं है। वर्तमान में नवदीप चाईल्ड वेलफेअर सेन्टर संजीवनी सेवा संगम इन्दौर व मातृछाया बाल संरक्षण गृह इन्दौर में है।

प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि यह पूरा गोरखधंधा एक प्रसिद्ध चिकित्सालय के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। इस चिकित्सालय



में ऐसी महिलाओं के गर्भपात गैर कानूनी तरीके से कराये जाते थे जो किन्हीं कारणों से उन बच्चों को रखना नहीं चाहती थी चिकित्सक उन महिलाओं का गर्भपात न करते हुए उनकी फुलटर्म डिलेवरी कराता था इस तरह पैदा हुए बच्चों को आरोपी चिकित्सक निःसंतान दम्पतियों को रुपये लेकर बेच देता था। इस घटना के बाद अति. पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर द्वारा जिले के समस्त पुलिस कर्मियों को human/child trafficking को लेकर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संवेदनशील बनाया गया। जिसका परिणाम आज अलीराजपुर जैसे जिले से 50 अधिकारी/कर्मचारी anti human/child trafficking में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। जो भविष्य में निश्चित ही विभाग के लिये रिसोर्स पर्सन्स कार्य करेंगे। इस कार्य के लिये पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री विपुल श्रीवास्त्व एवं अति. पुलिस अधीक्षक सुश्री सीमा अलावा की सराहनीय भूमिका रही है।

“अस्पताल से चोरी बच्चा बरामद”



जिला आगरा जिला चिकित्सालय आगरा मालवा परिसर से दिनांक 15/02/19 की सुबह ग्राम भादवा थाना कानड के निवासी ईजराईल खां की लड़की जो अस्पताल में भर्ती थी, उसका दो वर्ष का बच्चा अस्पताल में खेल रहा था जो अचानक गुम हो गया था। सूचना पर से थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 88/19 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर

अनुसंधान में लिया गया। पुलिस द्वारा घटना स्थल के आस पास रहने वालों व दुकानदारों से सघन पूछताछ की गई व वीडियो फुटेज खंगाले गये। एक संदिग्ध व्यक्ति सीसीटीव्ही फुटेज में बच्चे को ले जाते दिखाई दिया। उक्त संदिग्ध की तलाश हेतु फुटेज को सोशल मिडिया पर शेयर किये गये। इन सब का परिणाम यह रहा कि ग्राम घोंसला से मुखबिर ने टीआई अजीत तिवारी को सूचना दी कि अपहृत बच्चा मनीषा किन्नर के पास घोंसला में है। सूचना पर तत्काल पुलिस ने कार्यवाही करते हुए ग्राम घोंसला से मनीषा किन्नर के घर से, अपहृत बच्चे को बरामद किया और मनीषा को गिरफ्तार किया। जिसने बताया कि उसने अजय नाम के व्यक्ति से शादी कर ली है तथा वह अपने भविष्य को देखते हुये किसी बच्चे को गोदी लेना चाह रहे थे इसी कारण मनीषा किन्नर के कहने पर दिनांक 15/02/19 को आरोपी अजय आगरा अस्पताल आया और अस्पताल परिसर में खेल रहे बच्चे को लेकर मनीषा के सुपुर्द कर फरार हो गया है।

इस तरह पुलिस दल द्वारा मात्र 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया के प्रयोग से व जन सहयोग से अबोध अपहृत बच्चे को बरामद करने में सफलता प्राप्त की।

“मौज-मस्ती हेतु घर से भागे बच्चे बरामद”

जिला गुना थाना कोतवाली जिला गुना अन्तर्गत एक साथ 04 अमीर परिवारों के बच्चों के गुम होने की सूचना प्राप्त होने पर सारे शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को बड़े ही मुस्तैदी से लिया अपराध पंजीबद्ध कर गुम बच्चों की तफतीश प्रारम्भ की आस-पास के जिलों को एवं जीआरपी को सूचित किया गया। रेल्वे पुलिस ग्वालियर को चार बच्चे स्टेशन पर बैठे दिखे जो उन्हें थोड़े संदिग्ध लगने पर पूछताछ की तो, बच्चों ने गुना का होना बताया व बताया कि हम मॉल घूमने के लिये आये हैं गुना पुलिस से बात कि तो पता चला कि बच्चों की कोतवाली गुना में गुम शुद्धी कायम है रेल्वे पुलिस द्वारा बच्चों से बातचीत उपरांत ज्ञात हुआ कि उक्त 04 बच्चे मॉल में मौज-मस्ती करने के लिए अपने घर में रखे एक लाख रुपये लेकर बिना बताये घर से ग्वालियर जाने वाली ट्रेन में बैठ कर मॉल घूमने ग्वालियर आये थे। रेलवे पुलिस ने उन्हें मॉल घुमाया। गुना पुलिस के ग्वालियर पहुंचने पर 04 बच्चों को सुपुर्द किया गया है। इस तरह 24 घण्टे के अन्दर पुलिस द्वारा बच्चों को बरामद कर माता-पिता से मिलाया गया।

एटीएम से 67 लाख उड़ाने वाला गैंग पुलिस की गिरफ्तार में

जिला छिंदवाड़ा 3थाना जुन्नारदेव अंतर्गत दिनांक 24-25 जुलाई 2019 की दर्मियानी रात 03 एटीएम को गैस कटर से काटकर 67 लाख रुपये की चोरी की घटना को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट पर थाना जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा में अप.क्र. 227/19 एवं 228/19 धारा 457,380 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त घटना को चुनौती मानते हुए आरोपियों की पतासाजी हेतु पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर देश के विभिन्न स्थानों में हुई इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी के लिए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र के लिए टीम को भेज कर जानकारी एकत्रित की गई। टीम द्वारा एकत्रित संपूर्ण जानकारी का विश्लेषण कर दिनांक 11/08/19 को 04 आरोपियों को महाराष्ट्र, छिंदवाड़ा एवं राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इन आरोपियों से वैरिटो कार, बलेनो कार, गैस सिलेंडर एवं कटर, 06 नग मोबाईल जप्त किये गये। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा



हुआ कि रवि बेलवंशी निवासी नीलाखापा, जुन्नारदेव छिंदवाड़ा ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर एटीएम की रेकी कर हरियाणा से पूर्व परिचित गैंग वसीम खान, ताहिर खान, साकिब मेवाती से संपर्क कर उन्हें छिंदवाड़ा बुलाकर उक्त वारदात को अंजाम दिया था।

एक लाख के ईनामी आदतन बलात्कारी के चंगुल से अबोध बालिका की बरामदगी

थाना जीआरपी आमला दिनांक 16.08.19 को सनलाल यादव अपनी पत्नी सनवती एवं तीन बच्चों को लेकर आया एवं बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने घर कलमुंडी जिला छिंदवाड़ा जाने के लिए पंचवली पैसेन्जर के जनरल कोच में दिनांक 15.08.19 को बुदनी से अपने 04 बच्चों एवं पत्नी के साथ बैठा था। सनलाल जब पानी लेने रेल्वे स्टेशन आमला पर उतरा उसकी पत्नी सो रही थी किन्तु बच्ची ट्रेन में नहीं थी उस समय सुबह के लगभग 04:30 बजे थे, सनलाल ने बच्ची को ट्रेन में काफी तलाश किया एवं एनाउन्स भी कराया किन्तु बच्ची की कोई जानकारी नहीं मिली। सनलाल ने ट्रेन में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति पर संदेह व्यक्त किया था किन्तु वह उसका नाम पता नहीं जानता था वह व्यक्ति उसके परिवार के साथ ही बैठा था वह व्यक्ति भी ट्रेन से उतर गया है जिस कारण सनलाल की रिपोर्ट पर से अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रं.122/19 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया।

अपहृत बालिका की तलाश में बच्ची के फोटो बहुत से व्हाट्सअप ग्रुप में डाले गए। फरियादी के बताये अनुसार आरोपी का पोर्ट्रेट तैयार किया गया। पोर्ट्रेट को सीमावर्ती थानों/जिलों में भी भेजा गया था, सिटी थाना लोधीखेड़ा जिला छिंदवाड़ा से एक संदेही की फोटो थाने पर प्राप्त हुई। प्राप्त फोटो को फरियादी सनलाल एवं उसकी पत्नी को दिखाया जिनके द्वारा जाहिर किया गया कि यह वही व्यक्ति है जो हमारे साथ यात्रा कर रहा था संभवतः यही व्यक्ति हमारी बच्ची को ले गया है। आरोपी तो चिन्हित हो चुका था किन्तु पुलिस के सामने अब एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि आरोपी बहुत थी खतरनाक धारणा का था जिस पर अलग-अलग थानों में इस प्रकार के कई अपराध दर्ज थे एवं कई जिलों में आरोपी की तलाश पूर्व से की जा रही थी।

आरोपी नाबालिक बच्चियों का ही अपहरण करता था व उनके साथ सुनसान जगहों पर ले जाकर बलात्कार कर बच्चियों को छोड़ कर भाग जाता था। पुलिस को आरोपी के बारे में एक बहुत ही अच्छी जानकारी यह लगी की वह पूर्व में मूर्तिकारों के पास कार्य करता था एवं आरोपी जाति से कुम्हार है जो एक अच्छा मूर्तिकार है। जिस कारण पुलिस द्वारा आसपास के मूर्तिकारों एवं कुम्हारों से भी चिन्हित आरोपी एवं अपहृत बालिका की फोटो दिखाकर पूछताछ की गई एवं जंगलों में व आसपास के क्षेत्रों में जोरो-शोरो से आरोपी एवं बच्ची की तलाश की गई व मुखबिर लगाए गये। दिनांक 23.08.19 को मुखबिर से ज्ञात हुआ की एक व्यक्ति बुधनी पुलिया के नीचे जहाँ गणेशजी व दुर्गाजी की मूर्तियाँ बनती हैं वहाँ है जो कि अपने पास एक बच्ची को भी रखे हैं। जो फोटो के संदेही से मिलता-जुलता है एवं बच्ची भी मिलती जुलती है उक्त सूचना पर बुधनी से संदेही राजा उर्फ किशोर पिता तारन प्रजापति उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम मोमीनपुरा थाना दमुआ जिला छिंदवाड़ा को पकड़ा, जिसके कब्जे में अपहृत बच्ची भी मिली। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर बच्ची को बरामद किया गया। आरोपी पर जिला छिंदवाड़ा एवं बैतूल में अलग-अलग थानों में पंजीबद्ध प्रकरणों में एक लाख रुपये का ईनाम पूर्व से घोषित है। इस कहानी में पुलिस की सूझबूझ एवं समझदारी से एक जघन्य सनसनीखेज घटना को टाला गया है एवं बच्ची के भविष्य को बचाया गया है आरोपी को पकड़ने में उ.नि. श्री एच.आर. कुमरे थाना जीआरपी आमला एवं उनकी टीम का सराहनीय कार्य रहा।

07 वर्षीय अबोध बालिका की रेडलाईट इलाके से सकुशल बरामदगी

जिला सतना दिनांक 05/03/19 को कुमारी आशिकी साकेत उम्र 7 वर्ष अपने परिवार के साथ मैहर माता मन्दिर दर्शन करने गई थी जो अपने परिजनों से बिछड़ गई थी। बालिका के परिजनों को बिछड़ने की खबर घर पहुंचने पर लगी घटना पर से थाना मैहर में अपराध क्रमांक 154/2019 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान मंदिर एवं उसके आस-पास के वीडियो/सीसीटीवी फुटेज तलाशे गये जिसमें एक व्यक्ति के साथ उक्त बालिका जाते हुए दिख रही है उसके आधार बालिका एवं आरोपी के फोटो/पम्पलेट प्रकाशित कर समाचार पत्रों, सोशल मीडिया एवं रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, बसों, ट्रेनों में अपहृता बालिका एवं संदिग्ध के पम्पलेट चस्पा कराए गए और आस-पास जिलों को भी सूचना एवं पम्पलेट भेजे गए। इस प्रचार-प्रसार का असर यह हुआ कि 15 दिन के अन्दर पुलिस रीवा को अपहृता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई उक्त जानकारी मैहर पुलिस सतना को शेरार की गई। इस आधार पर अपहृता को पुलिस अधीक्षक श्री रियाज इकबाल द्वारा किये गये विशेष प्रयासों से नागपुर महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से रेडलाईट इलाके से बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। इस पूरे घटनाक्रम में तीन व्यक्तियों जिसमें एक महिला भी शामिल है को गिरफ्तार किया गया।

बच्चों पर घटित अपराधों एवं बच्चों से संबंधित अन्य विधिक प्रावधानों संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण

दिनांक 18/09/19 को बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से "बच्चों पर घटित अपराधों एवं बच्चों से संबंधित अन्य विधिक प्रावधानों" संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के विभिन्न जिलों की विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, थानों के बाल कल्याण अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय भोपाल के नवीन मुख्यालय भू-तल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी श्री राजीव टण्डन द्वारा किया गया इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक (समन्वयन) एवं सहायक पुलिस महानिरीक्षक (जे) भी उपस्थित



थे। श्री राजीव टण्डन द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को बच्चों पर घटित होने वाले अपराधों एवं अपराधों के अनुसंधान के दौरान विभिन्न कानूनी प्रावधानों का संवेदनशीलता के साथ पालन करने के संबंध में दिशानिर्देश दिये। इस अवसर पर बचपन बचाओ

आंदोलन के पूर्व सहयोगी, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक हरियाणा एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व मेम्बर श्री एस.सी. सिन्हा द्वारा भी प्रशिक्षणार्थियों से चर्चा की गई एवं फील्ड में आने वाली समस्याओं से रूबरू हुए।



देश के व्यापार एवं उद्योग जगत की प्रमुख संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज "फिकी" द्वारा घोषित स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड-2019 की तीन श्रेणियों में मध्यप्रदेश पुलिस को नई दिल्ली स्थित फिकी के ऑडिटोरियम में 22 अगस्त को यह पुरस्कार प्रदान किए गये। प्रदेश में पुलिस आधुनिकीकरण को बढ़ावा और स्मार्ट पुलिसिंग के क्षेत्र में पुलिस द्वारा किए गए नवाचारों के लिए यह अवॉर्ड दिये गये हैं। राष्ट्रीय स्तर के इन पुरस्कारों का निर्णय एक ज्यूरी द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत के पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई के नेतृत्व में पेशेवर पुलिस उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होते हैं।

"फिकी" द्वारा एक पुरस्कार महिलाओं और बच्चों से यौन उत्पीड़न करने वाले अपराधियों को सजा दिलाने के लिए म.प्र. पुलिस द्वारा बनाए गए पुख्ता तंत्र के लिए दिया गया है। दूसरा पुरस्कार 'चिन्हित अपराध' के लिए दिया गया है। म.प्र. पुलिस राज्यभर में प्रति वर्ष करीब 800 से एक हजार सनसनीखेज एवं जघन्य अपराधों की पहचान करती है। इन मामलों में सजा 70 प्रतिशत से भी अधिक है। तीसरा पुरस्कार एससीएमआरसी भोपाल एवं पुलिस दूरसंचार के वाहन जांच पोर्टल के लिए दिया गया है। इस पोर्टल पर चोरी के वाहनों का पता लगाने के लिये संपूर्ण डेटा एकत्र कर विश्लेषण किया जाता है। अपराधों में अक्सर वाहनों का दुरुपयोग होता है। वाहन से संबंधित समस्त विवेचनाओं में सहायतार्थ वाहन डिटेक्शन पोर्टल भी बनाया गया है।



"विशेष अभियान" दिनांक 15/03/19 से 15/04/19

अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में दिनांक 15/03/19 से 15/04/19 तक गुम अवयस्क बालक/बालिकाओं की बरामदगी हेतु "विशेष अभियान" चलाया गया था।

अभियान के दौरान 230 बालक, 824 बालिकाएं कुल 1054 बालक/बालिकाओं को बरामद किया गया। प्रदेश के चार जिलों में क्रमशः इंदौर, रीवा, सतना एवं रतलाम द्वारा अभियान के दौरान अच्छा कार्य करने के लिये इंदौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री रुचिवर्धन मिश्र, रीवा पुलिस अधीक्षक श्री आबिद खान, रतलाम पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, सतना पुलिस अधीक्षक श्री रियाज इकबाल को पुलिस महानिदेशक महोदय भोपाल द्वारा प्रशंसा पत्र प्रेषित किये गये।

प्रधान संपादक : श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, पु.म.नि., अ.अ.वि., संपादक : श्रीमती श्रद्धा तिवारी, स.म.नि., अ.अ.वि.

सहसंपादक : श्रीमती शहनाज खान, निरीक्षक अ.अ.वि.

समस्त पुलिस अधीक्षकों से आग्रह है कि आपके जिले में किये जा रहे अच्छे कार्यों की जानकारी अ.अ.वि. मुख्यालय (क्राइम सेल) को भेजने का कष्ट करें, ताकि उसका प्रकाशन अ.अ.वि. के आगामी न्यूजलेटर में कराया जा सके।

E-mail ID : cidphq@mppolice.gov.in & WhatsApp No. : 7049646399